

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2024

विषय:- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से बचाव एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु अग्निशमन एवं आपात सेवा का सुदृढीकरण करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से उपकरणों के क्रय हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-उप० प्रको०-202-2023(महाकुम्भ-2025/एफएस), दिनांक 20-04-2024, जो प्रमुख सचिव, गृह को सम्बोधित एवं राजस्व विभाग सहित अन्य को पृष्ठांकित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महाकुम्भ मेला 2025 के दौरान वृहद स्तर पर तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों के एकत्रित होने के कारण किसी भी आपदा से निपटने हेतु पूर्व तैयारी के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार अग्निशमन तथा आपात सेवा के उपयोगार्थ उपकरणों/वाहनों का क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि ₹ 66,75,07,000/- (छाँछठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

क्र० सं०	वाहन/उपकरण का नाम	महाकुम्भ मेला में क्रय हेतु प्रस्तावित	अनुमानित लागत	कुल अनुमानित लागत
1	फायर टैंडर (मोटर फायर इंजन)	20	60,00,000	12,00,00,000
2	फोम टैंडर	6	80,00,000	4,80,00,000
3	फायर फाइटिंग बोट	6	23,00,000	1,38,00,000
4	एडवांस रैस्क्यू टैंडर	4	2,00,00,000	8,00,00,000
5	जेटीवी कैम्पर	70	16,00,000	11,20,00,000
6	फायर फाइटिंग टेरन व्हीकल	4	55,00,000	2,20,00,000
7	फ्लोटिंग पम्प (लाइट वेट)	20	4,00,000	80,00,000
8	बी०ए० सैट कम्प्रेसर	4	5,10,000	20,40,000
9	एएफटी बैग पैक	150	2,60,000	3,90,00,000
10	वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	1000	4,250	42,50,000
11	फायर एक्सटिंग्यूशर एबीसी टाइप क्षमता 06 कि०ग्रा०	5000	2,200	1,10,00,000
12	फायर एक्सटिंग्यूशर एबीसी टाइप क्षमता 09 कि०ग्रा०	1000	2,650	26,50,000

43	इलेक्ट्रिक सायरल	50	5,000	2,50,000
42	पीपीसी सिस्टम	55	28,000	15,40,000
41	एलिजट साईडेल	500	260	1,30,000
40	स्कूप स्टैंड (एफआरपी)	200	22,000	44,00,000
39	अतिरिष्टी जैकट	2000	5,000	1,00,00,000
38	सैफ्टी गोगलस (जोडा)	2000	500	10,00,000
37	सैफ्टी गवेल (नैदर एण्ड कटल) जोडा	2000	550	11,00,000
36	कैप	2000	500	10,00,000
35	जंगल बूट (जोडा)	2000	2,250	45,00,000
34	सावधानी सूचक पट्टी	100	650	65,000
33	बड़ी पंजी	100	1,000	1,00,000
32	रस्सा जूट/रस्सा लार्स्टिक (मीटर में)	1000	1,400	14,00,000
31	रैस्सु काटा	100	2,500	2,50,000
30	विद्यक रिजीज लाइफ	200	3,000	6,00,000
29	रिमीट ऑपरेटेड लाइफ बॉय रैस्सु टैल्स	4	8,00,000	32,00,000
28	इलेक्ट्रिक पट्टी विजल विजल प्रकार के	55	5,000	2,75,000
27	वाटर जैल फायर कन्वेल	200	16,210	32,42,000
26	फायर कन्वेल	200	9,000	18,00,000
25	वाटर कटल डोल	200	40,000	80,00,000
24	वाटर कटल गान्ध	50	12,500	6,25,000
23	अन्टी पर्वल ग्रांथ पाइप	200	34,000	68,00,000
22	नये डोल पाइप	200	8500	17,00,000
21	विजल फायर हेड ऑडियोर 4.5 फिओमो	1500	18,000	2,70,00,000
20	इंजल टाई	150	8,500	12,75,000
19	शीटिंग आपरेटर सेट	50	3,00,000	1,50,00,000
18	फायरबैल एक्स	100	2,100	2,10,000
17	फायर हूक	100	1,650	1,65,000
16	फायर बकैट्स अथ स्टैंड	200	7,000	14,00,000
15	रॉली आउटलेट वाटरविजल क्षमता 50 ली०	100	7,05,000	7,05,00,000
14	एक्सटिन्ग्यूशर क्षमता 09 फिओमो सीओ२ टाइप फायर	1000	18,000	1,80,00,000
13	फायर टैस टायल टाइप फायर एक्सटिन्ग्यूशर	500	25,000	1,25,00,000

44	फोम कम्पाउण्ड (ली0 में)	200	300	60,000
45	फायर रिटार्डेंट स्प्रे कैमिकल (ली0 में)	500	1,000	5,00,000
46	वाटर फ्लोटिंग स्ट्रेचर	24	65,000	15,60,000
47	मोटर साईकिल (अपाचे/पल्सर)	26	1,20,000	31,20,000
48	फायर एक्सटिंग्यूशर प्रशिक्षण सेमूलेटर	1	15,00,000	15,00,000
कुल योग				66,75,07,000/-

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा गृह विभाग एवं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, 30प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महाकुम्भ मेला 2025 के दौरान आपदा की स्थिति में तीर्थयात्रियों/पर्यटकों की सुरक्षा एवं आपदा से बचाव हेतु पूर्व तैयारी एवं क्षमता निर्माण (preparedness and capacity building) हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा के उपयोगार्थ उक्त प्रस्तर-1 की तालिका में वर्णित उपकरणों/वाहनों का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि से कुल धनराशि ₹0 66,75,07,000/- (छांछठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रमुख सचिव, गृह विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

1. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाईडलाइंस के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
2. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरण आदि सामग्री का उपयोग केवल कुम्भ के दौरान ही नहीं अपितु किसी समय किसी भी आपदा के घटित होने पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा सक्रिय रूप से किया जायेगा, जिससे आपदा के दौरान जनहानि, धनहानि को न्यूनतम करने के लिए सेण्डई फ्रेमवर्क के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जा सके।
3. राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
4. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
5. क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईंधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
6. महाकुम्भ मेला-2025 की समाप्ति के उपरान्त भविष्य में उपरोक्त उपकरणों/वाहनों का आपदा सुरक्षा एवं बचाव हेतु समुचित उपयोग का उत्तरदायित्व 30प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग का होगा।
7. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
9. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
10. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के रख रखाव एवं पीओओएलओ संबंधी व्यय विभागीय बजट से किया जायेगा।
12. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।
13. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का सञ्चालन एवं रखरखाव डीप्रओ अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा किया जायेगा।
14. राज्य आपदा मोचक निधि के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।
15. प्रश्रुगत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को समयबद्ध रूप से पूर्णरूप में व्यय किये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनकी जिम्मेदारी इस संबंध में सुनिश्चित की जाय ताकि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग समयबद्ध रूप से हो सके और नोडल अधिकारी को राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 66,75,07,000/- (छाँछठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05 प्राकृतिक विपत्तियों से राहत-800-06-0610 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

Ram Kewal

Date: 18-06-2024 17:23:17

(राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या:-731(1)/एक-10-2024 तद्विनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, डीप्रओ, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, डीप्रओ शासन।
- 3- महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, डीप्रओ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, डीप्रओ।

- 5- पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, मुख्यालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- राहत आयुक्त कार्यालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 8- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 11- गाईड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by

Shailendra (शैलेंद्र प्रसि त्रिपाठी)

Date: 18-06-2024 17:32:20।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-26/06/2024

प्रेषण संख्या:- 902
आवंटन आदेश संख्या:- 001-902
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2530-अपर पुलिस महानिदेशक - फायर सर्विस, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	667507000 667507000	667507000 667507000
	योग	वर्तमान प्रगामी	667507000 667507000	667507000 667507000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियासठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियासठ करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश